

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्रमांक/दिनांक/वर्ष

राजस्व ग्राम <u>पालोसा</u> मं० <u>डी०</u> भू०अ०नि०पुत्त <u>डी०</u> तहसील- <u>डी०</u>															
क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा इला	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०दि०									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.									
1	20	383 ek किता-16	5.932	जंगल भूज अजावड़ा हिस्सा 1/4 भागि अलि सा. धातेदाट रस्किन हिस्सा 1/13 (पूर्व खाता) मा ग्रा लैंड शाखा देलाट	जंगल भूज अजावड़ा हिस्सा 1/4 भागि अलि सा. धातेदाट रस्किन हिस्सा 1/13 (पूर्व खाता) मा ग्रा लैंड शाखा देलाट										
2.	3	292 किता-1	0.5564	तेला भूज चक्रा 1/4 भागि अलि सा. धातेदाट रस्किन हिस्सा 1/4 (पूर्व खाता) मा ग्रा लैंड शाखा देलाट	तेला भूज चक्रा 1/4 भागि अलि सा. धातेदाट रस्किन हिस्सा 1/4 (पूर्व खाता)		अभिलेखन अधिकारी								
<p>मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् <u>2076</u> <u>2019</u> <u>जुलाई</u> <u>2016</u> के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय <u>अबू</u> के समक्ष श्रयण योग्य है।</p> <p><u>अबू</u> पटवारी (भू अभिलेखारी) दिनांक <u>25/4/26</u> तह.-आबूरोड, जिला-सिरोही (राज.)</p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p> <p><u>अबू</u> ह० भू०अ०नि० पुत्त <u>अबू</u></p>				<p>प०हल्का <u>अबू</u> भू०अ०नि० <u>अबू</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण भन्दीबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्ण का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय <u>अबू</u> को सादर प्रेषित है।</p> <p><u>अबू</u> तहसीलदा <u>अबू</u> राजस्व अधिकारी</p>				<p>प०हल्का <u>अबू</u> भू०अ०नि० <u>अबू</u> राजस्व अधिकारी <u>अबू</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जाये।</p> <p><u>अबू</u> ह० उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर आबूरोड (सिरोही)</p>			